

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड -3, उपखंड-(i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

**अधिसूचना संख्या 01/2021-केंद्रीय उत्पाद शुल्क(गै.टे)**

नई दिल्ली, दिनांक 4 फरवरी 2021

सा.का.नि (अ).- केंद्रीय उत्पादशुल्क अधिनियम, 1944 (1944का 1) और केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम 2017 के नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतद्वारा, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड अधिसूचना सं.13/2017-केंद्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे), दिनांक 9 जून, 2017, भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), जिसे सा.का.नि. 566(अ), दिनांक 9 जून 2017 भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उपखंड-(i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा

उपरोक्त अधिसूचना में

(i) तालिका 1 में -

(क) क्रम सं. 7 के कॉलम 4 में, प्रविष्टि 7.4.2 और इससे संबंधित प्रविष्टि का लोप किया जाएगा;

(ख) क्रम सं. 14 के कॉलम 4 की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्न को प्रतिस्थापित किया जाएगा यथा:-

(4)	
“14.4.1	आयुक्त (अपील II)मुम्बई
14.4.2	आयुक्त (अपील III)मुम्बई
14.4.3	आयुक्त (अपील)रायगढ़
14.4.4	आयुक्त (अपील)थाने”;

(ii) तालिका III में-

(क) क्रम सं. 13 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्न को प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

(1)	(2)	(3)
-----	-----	-----

“13	दिल्ली 1	उत्तरी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली दक्षिणी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली”
-----	----------	--

(ख) क्रम सं. 14 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(ग) क्रम सं. 31 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(घ) क्रम सं. 32 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्न को प्रतिस्थापित किया जाएगा यथा:-

(1)	(2)	(3)
“32	मुम्बई II	पूर्वी मुम्बई, मुम्बई सेंट्रल, दक्षिणी मुम्बई”.

[मि. सं. 137/10/2020- सेवा कर]

(माजिद खान)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट:- प्रधान अधिसूचना संख्या 13/2017-केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 09 जून 2017, कोसा.का.नि 566(अ), दिनांक 09 जून 2017 के तहत भारत के राजपत्र,असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उपखंड-(i) में प्रकाशित किया गया था।

